

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 19/2025

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तत्कालिन कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

—आवेदक

बनाम

1. श्री संदीप गर्ग उर्फ संदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवजीराम (विक्रेता/मालिक), निवसी-मकान नं. 12-13, गली नं. 2, फिरोजपुर केन्ट, फिरोजपुर(पंजाब) एवं वर्तमान निवास स्थान आई-16-मॉडल टाउन, श्रीगंगानगर।

—अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51,58/63

निर्णय

दिनांक: 09.01.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या प.5 (01) चिरया/ग्रुप-3/ई-5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक-आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.09.2024 को समय 05:45 पी. एम. बजे को हाल किरायेदार जी-144, प्रथम फेज, रिको, श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मौके पर श्री सन्दीप गर्ग उर्फ सन्दीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवजी राम को अपना परिचय देकर संस्थान का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, श्री सन्दीप गर्ग उर्फ सन्दीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवजी राम ने स्वयं को उक्त निर्माण संस्थान का मालिक बताया परन्तु मौके पर उक्त निर्माण संस्थान का खाद्य अनुज्ञा पत्र और संस्थान का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, और संस्थान का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थ हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल (सन ब्रान्ड) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता/मालिक ने खाद्य पदार्थ हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल (सन ब्रान्ड) के 450-450ग्राम के 05 कार्टून के अन्दर 188 नग को विक्रय वास्ते होना बताया, मुझे इसी खाद्य पदार्थ हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल (सन ब्रान्ड) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल (सन ब्रान्ड) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सन्दीप गर्ग उर्फ सन्दीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवजी राम (विक्रेता/मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं श्री सन्दीप गर्ग उर्फ सन्दीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवजी राम (विक्रेता/मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म.सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।



अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ 450-450ग्राम के 05 कार्टुन के अन्दर 188 नग हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल (सन ब्रान्ड) में से 450-450ग्राम के मूल चार शील्ड कुल 1 किलो 800 ग्राम के चार पैक को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल (सन ब्रान्ड) का नगद भुगतान 600 रुपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल (सन ब्रान्ड) के मूल चार चार पैक पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेवलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के-2472 दर्ज किया प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोवारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलिफ नं के-2472 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोवरकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने उपरांत शेष खाद्य पदार्थ हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल (सन ब्रान्ड) को सीजर मेमो 2 को तैयार कर सीज किया गया और सीजर मेमो 3 द्वारा आदेशित कर श्री सन्दीप गर्ग उर्फ सन्दीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवजी राम (विक्रेता / मालिक) की अभिरक्षा में रखा हुआ है। सीजर मेमो 2 व 3 संलग्न है।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोवरकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहन को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सन्दीप गर्ग उर्फ सन्दीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवजी राम (विक्रेता/मालिक) एवं गवाहन ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S./1151/Act/2024/1151 Dated 08.10.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-2472 Sub-Standard Food & Contravenes Regulation No.5.2(d) होना पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर




अति० जिला कलक्टर (प्रशासक)
श्रीगंगानगर

ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया, खाद्योकारोवारकर्ता ने पुनः जांच करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त संदीप गर्ग उर्फ संदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवजीराम (विक्रेता/मालिक), निवसी-मकान नं. 12-13, गली नं. 2, फिरोजपुर केन्ट, फिरोजपुर(पंजाब) एवं वर्तमान निवास स्थान आई-16-मॉडल टाउन, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल (सन ब्रान्ड) विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51,58/63 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 31.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी मकान नम्बर 12-13 गली नम्बर 2 फिरोजपुर केन्ट पंजाब का रहने वाला है तथा प्रार्थी कार्यस्थल जी 144 प्रथम फेज रीको श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 1226/25 दिनांक 25-6-2025 का दिया है कि आपकी दुकान में हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल सन बाण्ड की जांच की गई तो हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल सन बाण्ड substandard Food पाया गया है प्रार्थी ने उक्त हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल सन दमण्ड में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण सं० 19/2025 है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया हाइड्रोजेन्टिड वनस्पति तेल (सन ब्रान्ड) का सैम्पल K-2472 स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, वीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./1151/Act/2024/1151 Dated 08.10.2024 अनुसार **Sub-Standard Food & Contravenes Regulation No.5.2.(d)** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58 में निर्धारित है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Hydrogenated Vegetable Oil(Vanaspati)" bearing Code No and Sr. No. **K-2472**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards** (Food Products Standards and Food Additives) Regulations. The sample is also **contravenes Regulation No. 5.2.(d)** of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।



अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभिशुक्त संदीप गर्ग लॉर्ड संदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवजीराम (विकेता/भालिक), निवसी-मकान नं. 12-13, गली नं. 2, फिरोजपुर केन्द्र, फिरोजपुर(पंजाब) एवं वर्तमान निवास स्थान आई-16-गौखल टाउन, श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58/63 के अन्तर्गत अभिशुक्तगण को राशि रूपये 60,000-00 (अखरे रूपये सात हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब भी "हाइड्रोजेनैटेड चनस्पति तेल (शन ब्रान्ड)" का विधिक प्राधान्यानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण कर इस न्यायालय को सूचित करें।

अभिशुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में खालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य निवृत्तिया एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सशा०)
अति० श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर